भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2963

जिसका उत्तर 18.03.2026 को दिया जाना है

पैदल यात्रियों की मौतें और पैदल-अनुकूल सड़क अवसंरचना की आवश्यकता

2963 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय यह स्वीकार करता है कि शहरी मुख्य सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग सहित सुरक्षित और निरंतर पैदल यात्री अवसंरचना की कमी के कारण पैदल यात्रियों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में पैदल यात्रियों की मृत्यु का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने पैदल यात्री-अनुकूल और चलने योग्य सड़कों को सुनिश्चित करने के लिए कोई सड़क अभिकल्पना मानदंड जारी किए हैं;

(घ) क्या पैदल चलने की सुविधा तथा पैदल यात्री सुरक्षा में सुधार लाने के लिए कोई विशिष्ट योजना अथवा कार्यक्रम विकसित किया गया है; और

(ङ) सड़क अभिकल्पना में वाहनों की आवाजाही के साथ-साथ पैदल चलने वालों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा-निर्देशों, नियमावली, आचार संहिता और सड़क एवं पुल निर्माण के विनिर्देशों के अनुसार किया जाता है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसी:103-2022 "पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण और स्थल की आवश्यकताओं के आधार पर पैदल यात्री अवसंरचना जैसे पैदल यात्री अंडरपास, फुटपाथ, फुट-ओवर ब्रिज, पैदल यात्री क्रॉसिंग प्रदान किए जाते हैं।

सड़क की श्रेणी और यातायात की मात्रा के आधार पर, वाहनों की आवाजाही के साथ-साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गति प्रबंधन हेतु अनुप्रस्थ पट्टी चिह्नों, रंबल स्ट्रिप्स, ऊंचे पैदल यात्री क्रॉसिंग, गति सारणी आदि जैसे विभिन्न यातायात नियंत्रण उपायों को अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और उद्घाटन-पूर्व चरणों के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी पैदल यात्रियों और अन्य संवेदनशील सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित करवाई जाती है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के प्रावधान सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा और कार्य-स्थल की आवश्यकताओं के आधार पर लागू किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों में पैदल यात्रियों की मृत्यु के राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में संलग्न हैं।

पैदल यात्रियों की मौतें और पैदल-अनुकूल सड़क अवसंरचना की आवश्यकता के संबंध में श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा दिनांक 18.03.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2963 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखितत अनुलग्नक।

भारत में सभी सड़कों पर सड़क हादसों में मारे गए पैदल यात्री				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022**	**2023**	**2024(पी)**
1	आंध्र प्रदेश	1604	1645	1739
2	अरुणाचल प्रदेश	7	1	1
3	असम	506	793	877
4	बिहार	3345	3462	4149
5	छत्तीसगढ़	741	942	1018
6	गोवा	51	44	42
7	गुजरात	1568	1757	1747
8	हरियाणा	1231	1386	866
9	हिमाचल प्रदेश	199	122	185
10	झारखंड	479	718	702
11	कर्नाटक	2105	2418	2321
12	केरल	1158	1147	1058
13	मध्य प्रदेश	1672	1793	1928
14	महाराष्ट्र	2894	3110	3344
15	मणिपुर	32	17	20
16	मेघालय	42	56	58
17	मिजोरम	9	17	20
18	नागालैंड	10	19	9
19	ओडिशा	800	848	735
20	पंजाब	608	716	746
21	राजस्थान	1745	1878	2042
22	सिक्किम	9	12	7
23	तमिलनाडु	4427	4577	4712
24	तेलंगाना	1458	1554	1586
25	त्रिपुरा	81	75	75
26	उत्तराखंड	290	223	303
27	उत्तर प्रदेश	1959	2075	2131
28	पश्चिम बंगाल*	2938	2926	3241
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	10	8
30	चंडीगढ़	23	28	28
31	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	21	29	24
32	दिल्ली	629	622	584
33	जम्मू और कश्मीर	131	158	144
34	लद्दाख	4	1	4
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	46	42	72
कुल		**32825**	**35221**	**36526**

नोट: वर्ष 2024 के आंकड़े अनंतिम हैं।

*वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल के आंकड़े राज्य पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2023 के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और वर्ष 2024 के लिए राज्य के समग्र / इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ईडीएआर) आंकड़ों के आधार पर पुनः तैयार किए गए हैं।

*****